

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 ई.मेल-dfobalod@yahoo.com

चेक लिस्ट क. 26

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

संलग्न है।

(बी. श्रीनिवास राव)

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)

(एस. पी. पैकरा)

वन संरक्षक
प्रभारी वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल, बालोद

**कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
बालोद वनमण्डल, बालोद (छ.ग.)**

कार्यालय -दूरभाष 07749-223904,

Email: dfobalod@yahoo.com

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग-2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग-930 झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग निर्माण हेतु
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	बालोद
(iii)	वन प्रभार	बालोद वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	26.471 हेक्टेयर
(v)	वन कानूनी स्थिति	1) आरक्षित वन रकबा - 23.892 हे० 2) संरक्षित वन रकबा - 1.529 हे० 3) राजस्व वन रकबा - 1.050 हे० कुल :- 26.471 हे०
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5 से 0.6 साईड क्वालिटी IV a, IV b
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भ संलग्न किये गये जाये।	राष्ट्रीय राजमार्ग-930 झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग निर्माण हेतु वृक्ष विदोहन प्रस्तावित है।
(viii)	भूरक्षण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	जों से लगा हुआ एवं वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कॉरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं है।

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूँ।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	प्रकरण का नोडल अधिकारी वनमंडल अधिकारी वनमंडल राजनांदगांव एवं क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर अपने प्रस्ताव में समाहित किया जावेगा।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	—
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं के दर्शाता मैप।	—
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	—
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	—
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधन दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरणसे प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षण द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	—
11.	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (Xi,ii 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)।	संलग्न है।

12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र।	3605.600 वर्ग किलोमीटर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	862.920 वर्ग किलोमीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	प्रकरण संख्या — 08 रकबा 599.880 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक = 1858.57 हेक्टेयर (क) दण्ड से रूप में प्रतिरूप वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर।	—
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर।	रकबा 1857.570 हेक्टेयर
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जिला बालोद में के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग —930 झलमला—बालोद—कुसुमकसा—मानपुर मार्ग चौड़ीकरण निर्माण उन्नयन कार्य किया जाना है। इस मार्ग के निर्माण होने से बालोद शहर में यातायात के दबाव को कम होगा तथा इस मार्ग का चौड़ीकरण निर्माण होने से दुर्ग, दल्लीराजहरा, मानपुर की ओर आने—जाने वाली गड़ियो सरलता से तय करेगी बालोद जिले का यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार मार्ग निर्माण से जिले के साथ—साथ प्रदेश एवं संपूर्ण भारत लाभांवित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।


 (बी. श्रीनिवास राव)
 कार्यपालन अभियंता
 राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. संभाग क्र. 01
 रायपुर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़)


 (एम.पी. पैकरा)
 वन संरक्षक
 प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
 बालोद वन मण्डल
 जिला—बालोद (छत्तीसगढ़)

**कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
बालोद वनमण्डल, बालोद (छ.ग.)**

कार्यालय-दूरभाष 07749-223904

E mail : dfobalod@yahoo.com

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/
व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।**

1.	परियोजना का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग-930 झलमला- बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग निर्माण हेतु		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. संभाग क्र.01 रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	26.471 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	बालोद	बालोद	राष्ट्रीय राजमार्ग-930 झलमला-बालोद-कुसुमकसा -मानपुर
क्र.	आरक्षित वन	वनखंड	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल
	— " —	दैहान	RF-99	6.509 हे०
	— " —	दैहान	RF-98	2.365 हे०
	— " —	दैहान	RF-97	4.716 हे०
	— " —	दैहान	RF-92	2.653 हे०
	— " —	डौण्डी	RF-148	1.146 हे०
	— " —	— " —	RF-170	4.789 हे०
	— " —	— " —	RF-163	1.266 हे०
	— " —	— " —	RF-164	0.448 हे०
ख.	संरक्षित वन	बोरिद	RF-257	1.529 हे०
ग.	आरेंज एरिया	निरंक	-	-
घ.	राजस्व वन क्षेत्र	-	खसरा नं. 307	1.050 हे०
		कुल योग :-		26.471 हेक्ट०
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	0.5 से 0.6 साईड क्वालिटी IV a, IV b		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण			
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	पर्याप्त		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	निरंक		

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोरफेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11.	उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उस मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	नहीं।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	निरंक

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण में मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- बालोद/दल्लीराजहरा/कोहका
दिनांक :-


(बी. श्रीनिवास राव)
कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. संभाग क्र. 01
रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)


(एम.पी. पैकरा)
वन संरक्षक
प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
बालोद वन मण्डल
जिला-बालोद (छत्तीसगढ़)